राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 00255/2024

लाड खमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, भीलवाड़ा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, शाहपुरा, राजस्थान।
5. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रावो का खेड़ा, मांडल, भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.02.2024
आदेश की दिनांक : 29.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मी कांत शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–3 लेवल–1 के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रावो का खेड़ा, मांडल, भीलवाड़ा में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पति भी एक सरकारी कर्मचारी है। जो कि अध्यापक के पद पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, उपरेड़ा, बनेड़ा, शाहपुरा में कार्यरत है जो कि अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापित स्थान से 500 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी के तीन साल की बेटी है। जिसकी देखभाल करने में अपीलार्थी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए अपीलार्थी ने शाहपुरा जिले में रिक्त पदों का विकल्प प्रस्तुत करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिनांक 31.01.2024 (अनुलग्नक–3) प्रस्तुत किया है लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने प्रस्तुत अभ्यावेदन का आज दिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 31.01.2024 (अनुलग्नक–3) का निस्तारण किया जावे एवं अपीलार्थी को अभ्यावेदन में अंकित विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य